

30/4/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त
आनुं। अपीलान्त अनु। अधिवक्ता अपीलान्त
और अपीलान्त का न्यायालय की ओर
से बार. बार आवेज लगाई गई, लेकिन
उनकी ओर से कोई उफ. नहीं आये।
अतः अपील अदम पैरवी अदम
हाजरी एवं अदम लउगील में खारिज
की जाती है। पत्रावली फेमल शुमार
केउर काखिल दफ्तर हो। प्रथ